कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1693 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 03/01/ 2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछिना – बसन्तपुर–जैंती मोटर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/38787/2019।

सन्दर्भ :– आपका ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 02.12.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा के पत्रांक 2007 / 12–1 दिनांक 28.12.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 2007 / 12-1 दिनांक, अल्मोड़ा, 28/12/ 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोडा में चैलछिना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 38787 / 2019)।

संदर्भ:– ऑनलाईन आपत्ति दिनांक 02.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित ऑनलाईन आपत्ति के कम में सादर अनुरोध है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रिानकगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून की पत्र सं0 433 / 12–1 / देहरादून दिनांक 02.09.2023 से भारत सरकार के एफ0आर0सी0एम0 मीटिंग का कर्यवृत्त दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित एजेण्डा सं0 03 के 04 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या मांगी गयी है। के अनुपालन में इस कर्यालय की पत्र सं0 1191 / 12–1 / दिनांक 05.10.2023 से बिन्दुवार बिन्दुओं की सूचना महोदय को भेजी गयी है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मार्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 433 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 1/9/ अगस्त, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद–अल्मोड़ा में चैलछिना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.602 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/38787/2019)

संदर्भ :– आपकी पत्र संख्या 420/12–1(2) दिनांक 17.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि जनपद–अल्मोड़ा में चैलछिना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के एफ.आर.सी.एम मीटिंग दिनांक 23–12–2022 के द्वारा चाही सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। आपके द्वारा उक्त सूचना/आख्या अपने स्तर तैयार न करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित पत्र को ही अग्रसारित कर दिया गया है, जबकि उक्त 04 बिन्दुओं की सूचना/आख्या अपनी संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी थी।

अतः भारत सरकार के एफ.आर.सी.एम मीटिंग का कार्यवृत्त दिनांक 27–12–2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा उल्लिखित एजेण्डा संख्या–03 के 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/आख्या मूल में उपलब्ध करायी जानी है।

संलग्नकः– भारत सरकार के एफ.आर.सी.एम मीटिंग का कार्यवृत्त दिनांक 27–12–2022

भवदीय,
01/09/23
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 433 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

G2C

पत्रांक 1191 /12-1 दिनांक, 05/10/ अल्मोड़ा, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में चैलछिना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या 38787/2019)।

संदर्भ:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून की पत्र सं0 433/12–1 देहरादून दिनांक 2.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण मे भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु सं0 1 से 4 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नानुसार महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In Context with the EDS dt. 22-12-2022, the concerned DFO is requested to visit the site and submit the inspection report.	प्रमाण पत्र संलग्न।
2	The user agency shall submit a detailed map and KML file showing all the proposed village, roads connection the existing villages and the market place, existing Government infrastructure such as Polytechnic, ITI,Colleges, banks , post office, etc.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग से जिन ग्रामों को जोडा जाना है। उन ग्रामों की वर्तमान में उपलब्ध सडक तक दूरी एवं कॉलेज, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, डाकघर, बैंक आदि जैसे सरकारी बुनियादी ढॉचे के0एम0एल0 में अंकित कर के0एम0एल0 ऑनलाईन पार्ट–I के बिन्दु सी0 में अपलोड कर ली गयी है।
3	The information regarding the distance of existing roads connecting the proposed villages from the market place is required to be subbmitted.	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि पूर्व निर्मित मोटर मार्गो से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की दूरी निम्नवत् है। ग्राम त्यूनरा–120 मी0 ग्राम रणक– 500 मी0 ग्राम बडियारी रैत– 100 मी0 ग्राम रौसिला– 50 मी0 ग्राम नया संग्रौली–30 मी0 ग्राम टिकर– 100 मी0
4	Minimum possible alignment to connect the the existing villages to the market shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग हेतु कोई अन्य उपयुक्त संरेखण उपलब्ध नही है।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में चेलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2023 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा ली गयी वी0सी0 में पूछे गये प्रश्न, कि उक्त मोटर मार्ग से आच्छादित गांव गूगल मैप के अनुसार पूर्व में निर्मित वन मोटर मार्ग के आस–पास लगे दिखाई दे रहे है, के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी / प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को मौके का संयुक्त निरिक्षण के मौखिक आदेश के कम में दिनांक 08.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री कैलाश सिंह रौतेला, सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा एवं कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोडा के साथ मौके का निरीक्षण किया गया एवं मौके पर नोडल अधिकारी द्वारा पूछे गये बिन्दु–आच्छादित गांव के आस–पास पूर्व में ही उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुवार सूचना प्रेषित है–

1. चैलछीना गांव पूर्व में काफलीखान–चेलछीना–भनोली मोटर मार्ग से जुडा है।
2. संयुक्त निरीक्षण में सहायक अभियन्ता श्री कैलाश सिंह रौतेला द्वारा अवगत कराया गया है कि चैलछीना–बसन्तपुर–जैंती मोटर मार्ग अस्तिव मे आने से तहसील मुख्यालय जैंती की दूरी 23 किमी0 कमी हो जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner